आयुष्मान भारत 'निरामयम्'
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, मध्यप्रदेश
आई.ई.सी ब्यूरो, प्रथम एवं द्वितीय तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल म.प्र.
www.ayushmanbharat.mp.gov.in । दूरभाष-0755-2763386

क्रमांक/एसएचए/एबी/2025/4748 **भोपाल, दिनांक 01/08/2025**

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला (म.प्र.)

विषय- आयुष्मान वय वंदना योजनांतर्गत पीवीसी कार्ड वितरण एवं शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु "**आयुष्मान वय वंदना कार्ड संतृप्ति अभियान**" (3 अगस्त से 23 सितंबर 2025) के शुभारंभ एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

सन्दर्भ- आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत जिलेवार आयुष्मान कार्ड प्रगति रिपोर्ट। (संलग्न पत्रक-1)

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजनांतर्गत मध्यप्रदेश में हितग्राहियों की सुविधाओं में वृद्धि एवं निर्बाधित रूप से त्वरित लाभ प्रदाय करने हेतु राज्य स्वास्थ्य एजेंसी म.प्र. द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को सुलभ एवं त्वरित उपचार का लाभ प्राप्त करने हेतु आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता होती है|

2. आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश में निर्धारित लक्ष्य 34.72 लाख के सापेक्ष अब तक 41 प्रतिशत (लगभग 15 लाख) हितग्राहियों के वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि शेष 59 प्रतिशत (लगभग 20 लाख) पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाना अभी भी शेष है। चूंकि योजना के तहत नि:शुल्क उपचार का लाभ प्राप्त करने हेतु आयुष्मान कार्ड अनिवार्य होता है, अतः समस्त शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की दिशा में त्वरित कार्यवाही आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2025 से 23 सितंबर 2025 तक " आयुष्मान वय वंदना कार्ड संतृप्ति अभियान" का संचालन किया जाना है। अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 3 अगस्त 2025 को किया जाएगा। लाइनलिस्ट दिनांक 1 अगस्त 2025 को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

अतः वय वंदना योजनांतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत वय वंदना कार्ड बनाये जाने हेतु अभियान "**आयुष्मान वय वंदना कार्ड संतृप्ति अभियान**" के जिला स्तर पर सफल क्रियान्वन हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है| अभियान अवधि में बनाये गए आयुष्मान कार्ड प्रगति की समीक्षा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

(डॉ. योगेश तुकाराम भरसट)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत 'निरामयम्'
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, म.प्र.

पृ. क्रमांक/ एसएचए/एबी/2025/4749 भोपाल, दिनांक 1 /08/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश।
4. महाप्रबंधक(विधि/ऑपरेशन/आईटी/शिकायत), आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश।
5. संभाग प्रभारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश।
6. जिला आयुष्मान नोडल अधिकारी(DHO-2) , समस्त जिला (म.प्र.) ।
7. राज्य समन्वयक(म.प्र.), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), उल्लेखित अभियान अवधि में बीआईएस पोर्टल एवं आयुष्मान एप्प के सुचारू निर्बाधित संचालन हेतु सबंधित टीम से आवश्यक समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. NIC मध्यप्रदेश (नोडल अधिकारी आयुष्मान),निरामयम पोर्टल/API सुचारू निर्बाधित संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें|
9. समस्त संभाग प्रभारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश, संबंधित संभाग में अभियान के सफल क्रियान्वन हेतु जिलों के साथ आवश्यक समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर(BFA/टीपीए), जिला आयुष्मान समन्वयक/आयुष्मान सहायक उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत 'निरामयम्'
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, म.प्र.